International Journal of Advanced Academic Studies 2021; 3(4): 17-21

E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(4): 17-21
Received: 20-07-2021
Accepted: 24-08-2021

सुधीर कुमार त्रिपाठी
शोध छात्र शिक्षा, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. डी.एस. सिंह बघेल
सेवानिवृत्त आचार्य शिक्षा, लाइफ लांग लर्निंग विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
सुधीर कुमार त्रिपाठी
शोध छात्र शिक्षा, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

रीवा जिले के माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन

सुधीर कुमार त्रिपाठी एवं डॉ. डी.एस. सिंह बघेल

सारांश
शोधार्थी ने रीवा जिले के माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन किया। 42 वे सविधान संशोधन के पर्यावरण संरक्षण से संबधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48–क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने की बात की गई है। इस प्रावधान के अतिरिक्त अनुच्छेद 51–क के रूप में मूल कर्तव्य के खण्ड (छह) में "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। "संवैधानिक समावेश को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1980 में पर्यावरण तथा वन विभाग की स्थापना की गई। पर्यावरण तथा वन विभाग ने प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण जानकारी आंदोलन (National Environment Awareness Conference) संगठित किया। यह संगठन पर्यावरण से संबंधित समस्या पर अनुसंधानों को वढ़ाबा देता है तथा पर्यावरण संबंधित जानकारी देने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने की अनुशंसा करता है। इसके लिए 16–20 दिसम्बर 1982 को नई दिल्ली में अंतराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें 61 धारायें शामिल है और इन्हे 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। भारत में पर्यावरण कानून का इतिहास 125 वर्ष पुराना है। प्रथम कानून सन् 1894 में पास हुआ था, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रणकारी कानून थे। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एक जटिल समस्या है तथा वह संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। आज का बढ़ता हुआ प्रदूषण संपूर्ण मानव–जाति के लिए अभिशाप बन गया है। मानव के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव प्रदूषण से त्रस्त हैं। इसी कारण संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा इस समस्या से निपटने के लिए समय–समय पर कई कानून भी बनाए गए हैं।

मुख्यशब्दः रीवा जिला, माध्यमिक स्तर, छात्र–छात्राएँ, पर्यावरण प्रदूषण, जागरुकता।

प्रस्तावना
प्राचीन काल में मानव का जीवन बहुत सीधा–सादा व्यतीत होता था, उस समय पर्यावरण के बारे में लोगों को इतनी जानकारी नही थी, लेकिन मानव ने जब से उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, विश्व में पर्यावरण की नई समस्या सामने उभर कर आई है। मनुष्य ने जब तक पर्यावरण के साथ मित्रवत् व्यवहार किया, तब तक पर्यावरण अपने अनुकूल रहा और लाभ भी दिखाई दिया।
पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। यदि पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो जाए तो दुनिया का क्या हश्र होगा? मानव सहित सभी जन्तु एवं वनस्पतियाँ क्या जीवित रह पाऐंगी? अतः पर्यावरण की रक्षा में हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। हमारा आज का सम्मिलित प्रयास आने वाले दिनों में निश्चित रूप से प्रभाव दिखाएगा।
पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति बहुआयामी है। इसके अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक समस्याएँ और पर्यावरण तथा मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण का वर्णन है। इसके अध्ययन से एक तरफ जहाँ स्थानीय व भूमण्डलीय प्राकृतिक संसाधन, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों एवं जैव विविधताओं का संरक्षण हो सकेगा, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण, सामाजिक पर्यावरणीय समस्याओं एवं जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में कमी हो सकेगी।
भारत ही नहीं पूरा विश्व पर्यावरण के इस बिगड़ते स्वरूप से प्रभावित है विकासशील व अविकसित देश इस समस्या से अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि एक तो उनकी अपेक्षाकृत भारी जनसंख्या, दूसरा आर्थिक अभाव, तीसरे अशिक्षा अथवा कम शिक्षा उन्हें इस संकट से सहज छुटकारा नहीं दिला सकती। आम जनता ने पहले प्रगति के नाम पर प्रशासन से और फिर कानून से संरक्षण चाहा। प्रगति के नाम पर प्रशासन स्वयं भी कहीं इस समस्या के उत्पन्न करने के कारणों से जुड़ा था। अतः वह कुछ कर न सका। हां, कानून ने राहत दी।

विद्वान न्यायाधीशों और विधिवेत्ताओं ने आम नागरिक के लाभ के लिए जहां भी कानून में कुछ मिला, उसी से जनता को लाभ पहुंचाया। यहां तक कि भारत के संविधान की धाराओं में उनके हित में बहुत खोजकर उनका उपयोग किया।

हमारे देश में भी माध्यमिक स्तर पर असंतुलित होते हुए पर्यावरण के प्रति जागरुकता विकसित करने के लिए विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम रखे गये है। उच्च स्तर पर इन पाठ्यक्रमों की विविधिता तथा प्रभावशीलता और अधिक बढ़ाई गई है। पर्यावरण प्रदूषण से लगातार गड़बड़ाते प्रकृति चक्र को संतुलित कर विरासत में सुंदर और व्यवस्थित भविष्य हेतु पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार भी लगभग सीमित है, उनके उचित तथा बुद्धिमता पूर्ण उपयोग से छात्र / छात्राओं को लाभान्वित करना शोध का औचित्य है। माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा जो हम विद्यार्थियों को दे रहे है उसे वे किस सीमा तक ग्रहण कर पाते हैं। पर्यावरण शिक्षा से छात्र–छात्राओं की प्रवृत्तियों, आदतों, विचारों, कौशलों, अभिवृत्तियों, रुचियों और व्यवहार में क्या और कितना परिवर्तन हो रहा है तथा समग्र शिक्षा पर इसका प्रभाव किस सीमा तक वांछित दिशा में हो रहा है। यदि किसी प्रकार की रुकावट है तो क्यो? यह रुकावट किस प्रकार दूर की जा सकती है? एवं भविष्य में क्या परिवर्तन किया जाय कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सकें।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व –

पर्यावरण में कानून की आवश्यकता वस्तुतः आम नागरिक को दैनिक जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उनकी शुद्धता, प्रदूषण को रोकने तथा आगे न होने देने और विकृत पर्यावरण को सुधारने के लिए ही महसूस हुई। अतः पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण रोकने हेतु अनेक पिछले वर्षों में बने।

पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिटिशकाल में भी कुछ कानून बने थे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संबंधी 40वां संविधान संशोधन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसके अनुच्छेद 48ए के अनुसार सरकार देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। 42वें संविधान के अच्छेद 51ए (जी) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका सुधार करें तथा प्राणीमात्र के प्रति दया–भाव रखें। भारत सरकार द्वारा सन् 1980 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई।

वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एक जटिल समस्या है तथा वह संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। आज का बढ़ता हुआ प्रदूषण संपूर्ण मानव–जाति के लिए अभिशाप बन गया है। मानव के अतिरिक्त वन एवं वन्य जीव प्रदूषण से त्रस्त हैं। इसी कारण संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा इस समस्या से निपटने के लिए समय–समय पर कई कानून भी बनाए गए हैं। पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन अत्यन्त आवश्यक है।

उद्देश्य– शोध समस्याओं के समाधान की दिशा में शैक्षिक अनुसंधान के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, जिनको प्राप्त करने की दिशा में शोध उन्मुख होता है। प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संसार के कई देशों ने कानून को विनियमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के साथ ही प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कानून बनाए हैं। पर्यावरण कानून का प्रमुख उद्देश्य वातावरण के प्रमुख उपहार को प्रदूषण से मुक्त रखना है। भारतीय समाज धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण यहां प्राकृतिक संसाधन (पौधे, जंतु, नदियां) पूजे जाते हैं। इसी कारण प्राचीनकाल में पर्यावरण रक्षा के लिए कानून नहीं बना था, लेकिन पिछली सदी से पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी संख्या में कानून बनाए गए।

परिकल्पना

परिकल्पना समस्या का अनुमानित एवं काल्पनिक उत्तर होता है जिसे शोधकर्ता पूर्व कल्पना के आधार पर निर्मित करता है तथा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से परिकल्पना को सत्य या असत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। प्रस्तुत शोध समस्या की परिकल्पनाएँ इस प्रकार है–

1. शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में अन्तर पाया जायेगा।

परिसीमांकन– प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्योंथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज है। चूंकि रीवा जिला का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जिले के सभी विकासखण्डो से 5–5 विद्यालय कुल 45 विद्यालयों का चयन दैव निदर्षन विधि (Random sampling) द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है। विद्यालयों का चयन करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि सभी विकासखण्डों के विद्यालय ऐसे है जो अपने–अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा ये विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व करते है।

न्यादर्श –

शोध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों से 2–2 शिक्षक कुल 90 शिक्षक, प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य, 2–2 अभिभावक तथा प्रत्येक विद्यालय से 10 छात्र और 10 छात्राएँ कुल 900 का चयन दैव निदर्शन पद्धति से साक्षात्कार लिया गया है।

अध्ययन पद्धति –

शोधार्थी का शोध वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण मूलक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। शोध कार्य के दौरान निम्न शोध विधियों एवं उपकरणों का समावेश किया गया है –

साक्षात्कार विधि : शोधार्थी ने अपनी शोध समस्या से सम्बन्धित तथ्यों के विषय में गहन एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने हेतु अनेक व्यक्तियों से साक्षात्कार किया है। शोध क्षेत्र रीवा जिले के माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं में पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरुकता का अध्ययन करने के लिए छात्र, शिक्षक, प्राचार्य तथा अभिभावक से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन, परिणाम व वस्तुस्थिति का पता लगाने हेतु साक्षात्कार किया गया।

चयनित विधियों में निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है –

1. साक्षात्कार पत्रक
2. प्रश्नावली

शोध क्षेत्र से संबंधित पूर्व में किये गये कार्यो की संक्षिप्त समीक्षा

किसी भी अध्ययन कार्य को करने से पहले उस विषय से संबंधित पूर्व विद्वानों के कार्यो का अवलोकन उससे संबंधित साहित्य के अध्ययन से अध्ययन कार्य में सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधार्थी ने अपने सीमित प्रयासों से नजदीकी विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में भ्रमण किया तथा विषय से संबंधित पूर्व में किए गए अनुसंधानों का अध्ययन किया, जो निम्नानुसार है– कपिल, एच.के. (1996), द्विवेदी, ए.एन. (2003), हबीब और पुनिथ (2013), खुराना, उषा (1994), माथुर, ए.एन. एवं अन्य (1993), श्रीवास्तव, हरिनारायण (1991), जरीना

और अब्दुल समद (2013), पुरोहित, श्याम सुन्दर (1991), रोली, एस. (1995) ने पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन का अध्ययन किया है।

शोध क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

प्रदत्तों का सारणीयन, विष्लेषण एवं व्याख्या

शोध क्षेत्र में संकलित किये गये प्रदत्तों का सारणीयन कर उनका विश्लेषण एवं व्याख्या की गई प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्नानुसार हैं –

सारणी क्र. – 1: शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर का अध्ययन

क्र.	जानकारी संकलन के स्रोत	न्यादर्श में चयनित संख्या	शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में सार्थक			
			अन्तर है		अन्तर नही है	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राचार्य	45	34	75.56	11	24.44
2.	शिक्षक	90	61	67.78	29	32.22
3.	अभिभावक	90	58	64.44	32	35.56
	योग	225	153	68.00	72	32.00

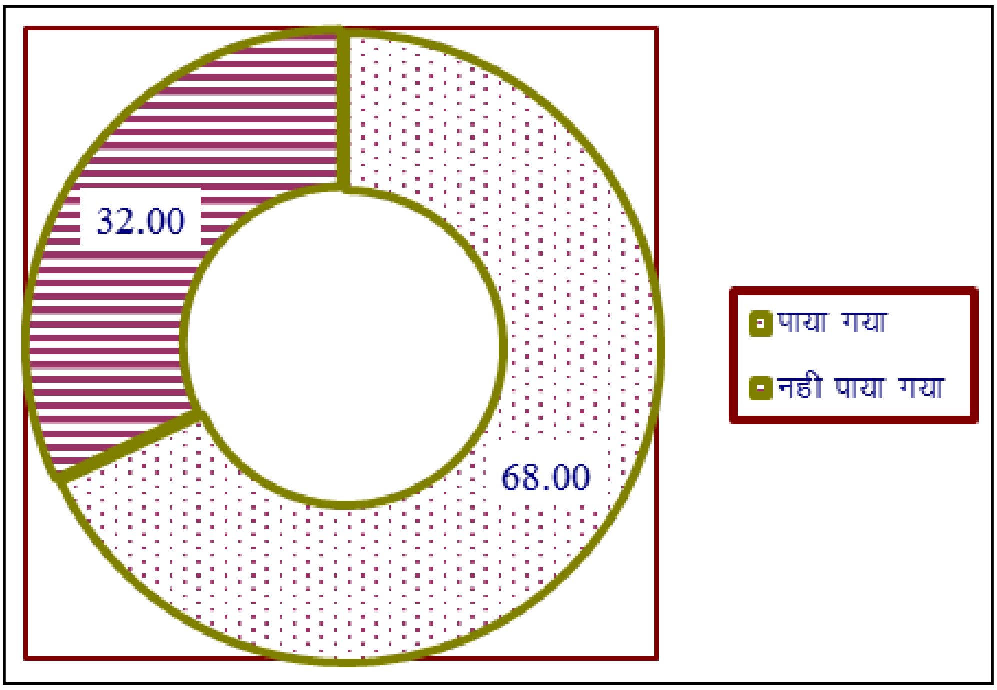

आरेख क्र. 1: शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर का अध्ययन

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख क्र. 1 में शोध क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर के संबंध में प्राथमिक स्त्रोत से जानकारी संकलित किया गया। संकलित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 75.56 प्रतिशत प्राचार्य, 67.78 प्रतिशत शिक्षक व 64.44 प्रतिशत अभिभावकों के अभिमतानुसार शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में सार्थक अंतर है।

सारणी क्र. – 2: शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर का अध्ययन (आधार छात्र परीक्षण पत्रक)

क्र.	प्राप्तांक की स्थिति	शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर			
		शहरी		ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0–40	47	10.44	129	28.67
2.	41–60	219	48.67	218	48.44
3.	61–80	142	31.56	82	18.22
4.	81–100	42	9.33	21	4.67

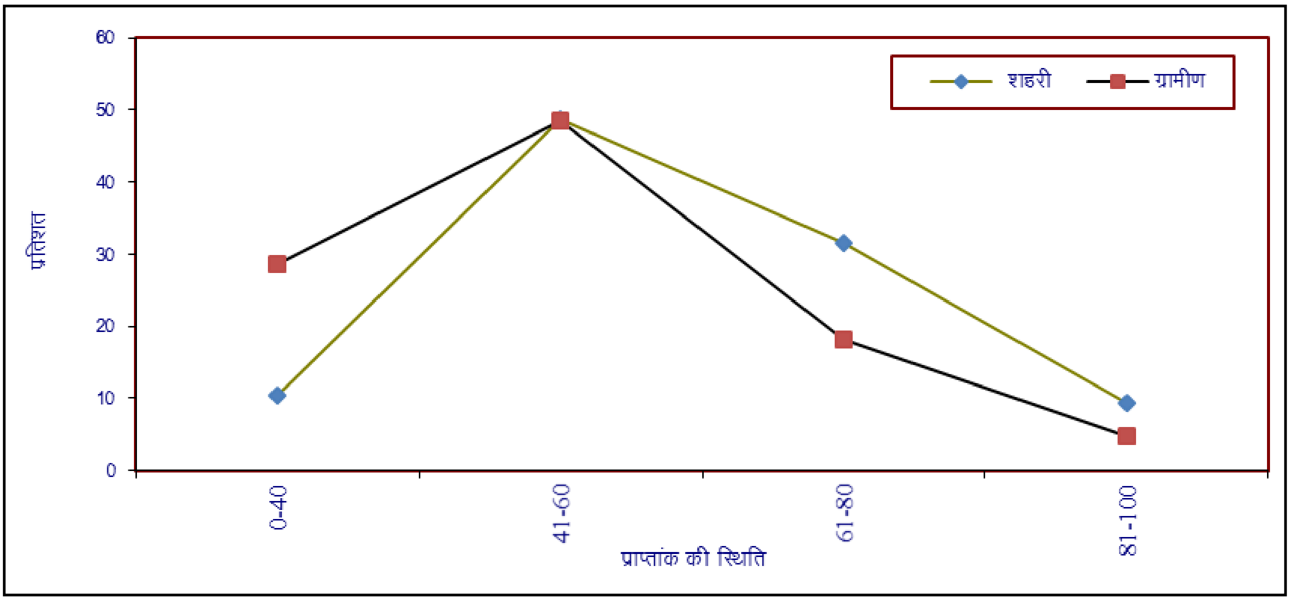

आरेख क्र. 2: शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर का अध्ययन (आधार छात्र परीक्षण पत्रक)

उपर्युक्त सारणी एवं आरेख क्रमांक – 2 से न्यादर्श हेतु चयनित 450 शहरी एवं 450 ग्रामीण के माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर का अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर से संबंधित न्यादर्श हेतु चयनित कुल 450 शहरी छात्र–छात्राओं में से 47 शहरी छात्र–छात्राओं ने 0–40 अंक, 219 शहरी छात्र–छात्राओं ने 41–60, 142 शहरी छात्र–छात्राओं ने 61–80 एवं 42 शहरी छात्र–छात्राओं ने 81 से अधिक अंक प्राप्ति कर ली है। इसी प्रकार से पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर से संबंधित ज्ञान पर न्यादर्श हेतु चयनित कुल 450 ग्रामीण छात्र–छात्राओं में से 129 ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 0–40 अंक, 218 ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 41–60, 82 ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 61–80 एवं 21 ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 81 से अधिक अंक प्राप्ति कर ली है।

शोध क्षेत्र में छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर अध्ययन किया गया है। 10.44 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं एवं 28.67 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं 0–40 अंक, 48.67 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं एवं 48.44 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 41–60 अंक, 31.56 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं एवं 18.22 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं 61–80 अंक तथा 9.33 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं व 4.67 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 81 से अधिक अंक प्राप्ति कर ली है।

सारणी क्र. – 3: मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता के परीक्षण ‘t’ अनुपात की सारणी

क्रमांक	समूह	N	M	SD	सारणी मूल्य 0.01 स्तर	सारणी मूल्य 0.05 स्तर	गणनीय ‘t’ मूल्य
1.	शहरी	450	57.02	16.17	2.58	1.96	7.24
2.	ग्रामीण	450	49.16	16.42			

$d.f = (N_1-1) + (N_2-1)$
$= (450-1) + (450-1)$
$= 449 + 449$
$= 898$

उपर्युक्त तालिका क्र. 3 में न्यादर्श में चयनित शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर से संबंधित ज्ञान का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। सांख्यिकी विश्लेषण से स्पष्ट है कि शहरी छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर सम्बन्धी औसत उपलब्धि 57.02 तथा मानक विचलन 16.17 है तथा ग्रामीण छात्रों का औसत उपलब्धि 49.16 तथा मानक विचलन 16.42 है।

शोध क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर से संबंधित ज्ञान का सार्थकता सारणी में किया गया है। दोनों समूहों की औसत उपलब्धियों में अंतर की गणना 't' परीक्षण के द्वारा की गई है। गणना से प्राप्त 't' का मान 7.24 है।

898 d.f. पर सार्थकता के लिए 't' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.58 एवं 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि गणना से प्राप्त 't' का मान 7.24 है जो कि दोनों विश्वास स्तरों पर मानक मानों से अधिक है।

सांख्यिकीय विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में सार्थक अंतर है।

अतः उपरोक्त परिकल्पना सत्यापित होती है।

निष्कर्ष –

- शोध क्षेत्र के 68.00 प्रतिशत अभिमतानुसार शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में सार्थक अंतर है, जबकि 32.00 प्रतिशत अभिमतदाताओं ने यह माना है कि शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- शोध क्षेत्र में छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर अध्ययन किया गया है। 10. 44 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं एवं 28.67 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं 0–40 अंक, 48.67 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं एवं 48.44 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 41–60 अंक, 31.56 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं एवं 18.22 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं 61–80 अंक तथा 9.33 प्रतिशत शहरी छात्र–छात्राओं व 4.67 प्रतिशत ग्रामीण छात्र–छात्राओं ने 81 से अधिक अंक प्राप्ति कर ली है। अर्थात शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी

शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में सार्थक अंतर है।

- शोध क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर से संबंधित ज्ञान का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है। सांख्यिकी विश्लेषण से स्पष्ट है कि शहरी छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर सम्बन्धी औसत उपलब्धि 57.02 तथा मानक विचलन 16.17 है तथा ग्रामीण छात्रों का औसत उपलब्धि 49.16 तथा मानक विचलन 16.42 है। गणना से प्राप्त श्ज श का मान 7.24 है। 898 कणि पर सार्थकता के लिए श ज श का मानक मान 0. 01 विश्वास स्तर पर 2.58 एवं 0.05 विश्वास स्तर पर 1.96 है, जबकि गणना से प्राप्त 't' का मान 7.24 है जो कि दोनों विश्वास स्तरों पर मानक मानों से अधिक है। सांख्यिकीय विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है, कि शहरी और ग्रामीण छात्रों में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी शासन की नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर में सार्थक अंतर है।

सुझाव –

1. स्वच्छ पर्यावरण ही जीवन है – की भावना शिक्षकों द्वारा छात्रों में विकसित की जानी चाहिए। शोध क्षेत्र में इस दिशा में शिक्षकों के प्रयास सार्थक नहीं हैं।
2. छात्रों को प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों का ज्ञान कराया जाना चाहिए जिससे उनमें प्रदूषण संबंधी समझ विकसित हो सके।
3. छात्रों को व्याख्यान शिक्षण के स्थान पर अन्य शिक्षण विधियों एवं प्रकृति में जाकर पर्यावरण व प्रदूषण तत्वों का ज्ञान कराना चाहिए।

सन्दर्भ –

1. कपिल, एच.के. (1996), सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
2. द्विवेदी, ए.एन. (2003), केन्द्र व राज्य सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना प्रक्रियाकरण योग्यताओं का अध्ययन. जर्नल आफ एजूकेशनल स्टडीज, 1, 33.
3. हबीब और पुनिथ (2013), प्राथमिक विद्यालय में व्यवहारिक शिक्षण के दौरान सेवा पूर्व शिक्षण में पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन।
4. खुराना, उषा (1994), पर्यावरण शिक्षा, नई दिल्ली (भारत) : तक्षशिला प्रकाशन, पृष्ठ 55.
5. माथुर, ए.एन. एवं अन्य (1993), पर्यावरण शिक्षा, देहली (भारत) : हिमांशु पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 180. डंजतेंए श्रनकीण च्वचनसंजपवद –ˋवबपमजपमेण छमू श्रमतेल रू च्तमदजपबम भ्ंसस प्दबण्ए म्दहसमूववक बसपििए 1973, 562.
6. श्रीवास्तव, हरिनारायण (1991), वायुमण्डलीय प्रदूषण. नई दिल्ली (भारत) : राजकमल प्रकाशन, : पृष्ठ 166.
7. जरीना और अब्दुल समद (2013), सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान के शिक्षकों की पर्यावरण जागरूकता पर पर्यावरण विशेषज्ञों के सर्वेक्षण का अध्ययन।
8. पुरोहित, श्याम सुन्दर (1991), पर्यावरण शिक्षा (द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण), बीकानेर (भारत) : अजन्ता बुक्स, 1991. पृष्ठ 64
9. रोली, एस. (1995), जबलपुर जिले में पर्यावरण शिक्षा की दिशा में हाई स्कूल के शिक्षकों की जागरूकता की दृष्टिकोण की जाँच का अध्ययन।